

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 18/08/18

रीडर/2019/1345
प्रार्थी
कंवराज पुत्र
मैराजराम जाति जाट
निवासी घोनरीनाडी,
रावतसर तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नारायणा पुत्र माला 2 छगनलाल 3 बांकाराम पिसरान
बाबुलाल 4 झीमा पत्नी बाबुलाल 5 खेमा 6 तेजाराम 7 रामा
पिसरान मुकनाराम 8 शौरु पत्नी मुकनाराम 9 पन्नी पत्नी धर्मा
10 कालु 11 अशोक पिसरान माना 12 राजा पत्नी माना 13
आसी पत्नी सोना 14 खेता पुत्र पदमा जाति जाट निवासी
घोनरीनाडी, रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 183/2019

दिनांक- 14/6/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा घोनरीनाडी पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 144 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 1818/145 रकबा 07.13 बीघा व खसरा संख्या 1815/145 रकबा 10.03 बीघा, खसरा संख्या 1816/145 रकबा 03.04 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 18/08/18

क्रमांक :- रीडर/2019/1346-49

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कंवराज पुत्र मैराजराम जाति जाट निवासी घोनरीनाडी, रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नारायणा पुत्र माला वगैराह जाति जाट निवासी घोनरीनाडी, रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर